

Sd/- XIV-F.No. 180V  
रसीद मालगुजारी  
नाम सर्कल | वार्ड मोजा मय  
थाना वो थाना नम्बर

Page No. : 57  
Vol. No. : 10  
Receipt No. : 0467949624  
फरद मालकी / फरद रयती  
नाम रयत मय बलिदयत जमाबन्दी  
वो संकुनात नम्बर।

सरायकेला | सरायकेला वार्ड नं-0-1 | 0301 | DEOLA RANI MARDI

खाला संख्या	खेसा संख्या	रकबा (एकड़ में)
251	216/A-218/A-220	0 एकड़ 5 तिसरीत 0 इंच

अराजी नकदी	अराजी भावती	तफसील रिसाब लगान भावती
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मय तफसील (बकाया वो हान) मोजादा साल का।

माल	माल धारत	बकाया				हान
		सालाना	तीन वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	
माल	(नकदी)	6.00				6.00
गुजारी	(भावती)	1.50				1.50
सेस	.....	3.00				3.00
सूद	.....	3.00				3.00
मुतफरकत	.....	1.20				1.20
मोजान		14.70				14.70

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	बकाया				मोजाना हान	फालित
	तीन वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	1 ला वर्ष		
माल	(नकदी)				6.00	
गुजारी	(भावती)				1.50	
सेस	.....				3.00	
सूद	.....				3.00	
मुतफरकत	.....				1.20	
मोजान अदायकारी					14.70	

(१) मोजान कुल (लखों में) : Fourteen Rupees and Seventy Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 14.70

धारा मालत का बकाया मालगुजारी पर शिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सटिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

नरीख अमला तफसील कुलिन्दा : 12-02-2021



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।  
यह प्रथम केवल प्रथम की जानकारी के लिए है।  
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंगरक्षिकों से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोसेना का समाधान।

# SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 597515180221060039


Date : 18-02-2021

प्रभावी : 4 2020-2021

श्री/श्रीमती/सुश्री Deola rani mardl W/O panchu mardl,  
मोहल्ला Hansahudi seraikella  
seraikella kharsawan , 833219  
8825322988

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0040000565000M0 वार्ड सं० 4 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है।  
इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	25.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	25.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		25.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT Website, [suda.jharkhand.gov.in](http://suda.jharkhand.gov.in) पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कडिका 11.4 के अंतर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ती कर का 50% होगा।  
शिष्टायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ती कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूंजी कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय पूंजी को निर्दिष्ट सम्पत्ती (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य प्रस्ताप पर अपने पर निमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ती कर इन इमारतों/दोनों को कोई कानूनी हेसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मासिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होस्टिंग नजी का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.